COURT FEE
भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

C.F. 10/-
D/F. 5/-

65

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

R-1881-II/13

1. श्रीमति ज्ञानबाई सौर पत्नी मुन्नीलाल सौर
2. छोटेलाल सौर आत्मज मुन्नी लाल सौर
3. काशीराम सौर आत्मज मुन्नीलाल सौर
4. ~~रामदयाल सौर आत्मज रज्जू सौर~~
5. मनसुख सौर आत्मज वंशी सौर
6. हन्नू सौर आत्मज अजुददी सौर
7. ~~मुन्नी सौर आत्मज~~ दुर्जन सौर S/O कल्लू सौर

समस्त निवासीयान ग्राम मुहारा तहसील जतारा जिला टीकमगढ (म.प्र.)

....पुनरावलोकनकर्ता

बनाम

1. [illegible]
1. भूमि विकास बैंक शाखा जतारा द्वारा प्रबंधक हरचरन लाल सारस
2. रघुवीर आत्मज हरदास राय
3. रामसखी पत्नी श्री रघुवीर राय
4. विकास आत्मज रघुवीर राय

समस्त निवासीयान जतारा तह. जतारा जिला टीकमगढ म.प्र.

.. .रिस्पांडेन्टगण

रिव्यू पिटीशन न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. प्र. के निगरानी/406/2/02 के आदेश दिनांक 9/9/2004 से व्यथित होकर पुनः विचार हेतु समक्ष श्रीमान के प्रस्तुत है -

---

महोदय,

पुनरावलोकनकर्ता/आवेदकगण की ओर से विनय है कि भूमि स्थित मुहारा जंगल खसरा नंबर 37/3, 38/3, 40/1/1, 39/7, 36/3, क्रमशः

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1881–दो/013 जिला –टीकमगढ

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.03.2016	आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 अवस्थी अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन– पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 406–दो/2002 आदेश दिनांक 09.9.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1881–दो/2013 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से पुनरवलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 406–दो/2002 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 09.09.2004 से किया जा चुका है । रिव्यु प्र0 क0 181–दो/2013 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन	

R 1881-II/13

स्वीकार किया जा सकता है :–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात /साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था , सम्यक तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2–अभिलेख से प्रकट कोई भूल /गलती ।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य